

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा , R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2021/315

दायरा दिनांक 06.12.2021



वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भंवरलाल पुत्र स्व. चूनाराम
जाति जाट उम्र.....वर्ष निवासी
बुगालियो की ढाणी शरहद
खाखोली तहसील डीडवाना जिला
नागौर (राज.)

1. नानूराम पुत्र स्व.रामबक्ष
2. नाथूराम पुत्र स्व.रामबक्ष
3. गणेशाराम पुत्र स्व.रामबक्ष फौत
- 3/1. कोयलीदेवी पत्नी स्व. गणेशाराम
- 3/2. प्रकाशसिंह जाखड पुत्र स्व. गणेशाराम
- 3/3 मोहनीदेवी पुत्री स्व. गणेशाराम
4. गिरधारी पुत्र स्व.नारायणराम
- 5 हणमानराम पुत्र स्व.नारायणराम
- 6 सोहनीदेवी पुत्री स्व.नारायणराम
- 7 बनवारीलाल पुत्र स्व.मोहनराम
- 8 दुर्गा पुत्री स्व.मोहनराम
- 9 श्रवणी पत्नी स्व.मोहनराम
- 10 हीरालाल पुत्र स्व. चूनाराम
- 11 गोविन्दराम पुत्र स्व. चूनाराम समस्त
जाति जाट निवासी बुगालियो की ढाणी
शरहद खाखोली तहसील डीडवाना
जिला नागौर (राज.)
- 12 मेनेजर साहब सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
शाखा मौलासर तहसील डीडवाना
- 13 मेनेजर साहब स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
शाखा धनकोली तहसील डीडवाना
- 14 श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी व बन्टवारा
अन्तर्गत धारा 88,53 राज. काश्त. अधि.

उपस्थित-

1. श्री हरदीनराम जाखड वकील वादी।
2. श्री ओमप्रकाश पुनिया वकील प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 ।

--: निर्णय ::--

दिनांक 17.06.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा खाखोली की शहरद मे खेत पुराने ख.न. 355 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा जिसके नये ख.न. 618 रकबा 0.0100 हैक्टर, खेत ख.न. 619 रकबा 0.0200 हैक्टर, खेत ख.न. 620 रकबा 0.0400 हैक्टर, खेत ख. न. 621 रकबा 4.3200 हैक्टर, ख.न. 622 रकबा 0.0400 हैक्टर, कुल रकबा 4.4300 हैक्टर, वादी व प्रतिवादीगण 01 ता 11 की पैत्रिक कब्जा काश्त व खातेदारी की जमीन है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073 सें 2076 की प्रतिलिपि दावा के साथ पेश की है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 की वंशावली वाद में पेश की

है।

प्रतिवादी संख्या 03 ने एक वाद बअनुवान गणेशाराम बनाम चुनाराम वगैराह मु.न. 84/2003 पेश किया था उक्त वाद में वादी व प्रतिवादीगण के सम्पूर्ण खेतों का बन्टवारा जरिये राजीनामा से किया गया था जिसका निर्णय दिनांक 19.08.2003को चुका था



सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मगर उक्त निर्णय की पालना भूलवंश से नहीं हो पाई। कानूनन डिक्की की पालना 12 वर्ष के अन्दर-अन्दर की जानी चाहिये। मगर उक्त डिक्की की 12 वर्ष में भूलवंश पालना नहीं कराई जासकी इसलिए वादी द्वारा यह नया वाद बाबत घोषणा खातेदारी व बन्टवारा का पेश किया जाना जरूरी हो गया है। निर्णय व राजीनामा की नकल वाद के साथ पेश की है।

उक्त वाद में वादी व प्रतिवादी संख्या 10 ता 11 के पिता चुनाराम के हिस्से में पुराने खेत ख. न. 355 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा मे से 09 बीघा 02 बिस्वा व प्रतिवादी संख्या 04 ता 06 के पिता नारायणराम को पुराने खेत ख. न. 355 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा मे से 18 बीघा 06 बिस्वा बन्ट में रखा गया था। तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 को अन्य खसरा में से बन्ट देने के कारण पुराने खेत ख. न. 355 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा की खातेदारी में नाम हटाने का आदेश दिया गया।

मौजा खाखोली की शहरद मे पुराने खेत ख. न. 355 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा के नये ख.न. 618 रकबा 0.0100 हैक्टर, खेत ख.न. 619 रकबा 0.0200 हैक्टर, खेत ख.न. 620 रकबा 0.0400 हैक्टर, खेत ख.न. 621 रकबा 4.3200 हैक्टर, ख.न. 622 रकबा 0.0400 हैक्टर, कुल रकबा 4.4300 हैक्टर, बने है। मगर मौके पर चुनाराम के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 10 ता 11 व नारायणराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 04 ता 09 का ही उक्त निर्णय दिनाक 19.08.2003 के बन्टवारा के अनुसार कब्जा काशत है। तथा अपने-अपने बन्ट के अनुसार ही मौके पर सीवे-निवे कायम कर रखी है। तथा अपने काशत की जमीन में पैड-पौधे व खाद आदि डाल कर व चारो ओर सीवें निवे डाल कर उपजाउ बना रखा है। जिसको वादी ने अपने नजरी नक्शा अनुसूची "क" मे बन्टवारे के अनुसार अपने बन्ट को दर्शाया गया है। उक्त नजरी नक्शा अनुसूची "क" दावे का अहम भाग है। बन्ट निम्न प्रकार है:-

(क) वादी व प्रतिवादी संख्या 10 ता 11 के बन्ट व कब्जा काशत का खेत :-

मौजा खाखोली की शहरद मे खेत ख.न. 618 रकबा 0.0100 हैक्टर, सम्पूर्ण नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा खाखोली की शहरद मे खेत ख.न. 621 रकबा 4.3200 हैक्टर, मे से 1.4630534 हैक्टर नजरी नक्शा के अनुसार

(ख) प्रतिवादी संख्या 04 ता 09 के बन्ट व कब्जा काशत का खेत :-


मौजा खाखोली की शहरद मे खेत ख.न. 619 रकबा 0.0200 हैक्टर, सम्पूर्ण नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा खाखोली की शहरद मे खेत ख.न. 620 रकबा 0.0400 हैक्टर, सम्पूर्ण नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा खाखोली की शहरद मे खेत ख.न. 622 रकबा 0.0400 हैक्टर, सम्पूर्ण नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा खाखोली की शहरद मे खेत ख.न. 621 रकबा 4.3200 हैक्टर, मे से 2.8569466 हैक्टर नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा खाखोली की शहरद मे पुराने खेत ख. न. 355 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा के नये ख.न. 618 रकबा 0.0100 हैक्टर, खेत ख.न. 619 रकबा 0.0200 हैक्टर, खेत ख.न. 620 रकबा 0.0400 हैक्टर, खेत ख.न. 621 रकबा 4.3200 हैक्टर, ख.न. 622 रकबा 0.0400 हैक्टर, कुल रकबा 4.4300 हैक्टर, बने है। मगर मौके पर चुनाराम के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 10 ता 11 व नारायणराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 04 ता 09 का ही उक्त निर्णय दिनाक 19.08.2003 के अनुसार कब्जा काशत है। मगर प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 का नाम उपरोक्त खसरो की खातेदारी में गलत दर्ज होने से जमीन बैचाण करने पर आमादा है, एवं इसी उद्देश्य से प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 ने दिनाक 22.11.2021 को वादी को उसके बन्ट व हिस्सा की जमीन बैचाण करने की धमकी दी है। जिससे वादी के जायज अधिकार खतरे में पड गये है इसलिए वादी व प्रतिवादी संख्या 10 ता 11 को अपनी पैत्रिक


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

कब्जा काशत की जमीन में अपने हिस्से की खातेदारी घोषित कराना आवश्यक हो गया है। इसलिए घोषणा खातेदारी का दावा पेश किया है।

मौजा खाखोली की शहरद मे पुराने खेत ख. न. 355 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा के नये ख.न. 618 रकबा 0.0100 हैक्टर, खेत ख.न. 619 रकबा 0.0200 हैक्टर, खेत ख.न. 620 रकबा 0.0400 हैक्टर, खेत ख.न. 621 रकबा 4.3200 हैक्टर, ख.न. 622 रकबा 0.0400 हैक्टर, कुल रकबा 4.4300 हैक्टर, बने है। मगर मौके पर चुनाराम के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 10 ता 11 व नारायणराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 04 ता 09 का ही उक्त निर्णय दिनांक 19.08.2003 के अनुसार कब्जा काशत है। तथा दिनांक 30.01.2003 के राजीनामा के अनुसार ही बन्तवारा करके अलग काशत करते है। मगर खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 का नाम संयुक्त रूप से गलत दर्ज है। इसलिए वादी वाद के पद संख्या 05 में वर्णितानुसार व दिनांक 30.01.2003 के राजीनामा के अनुसार वाई मिटस् एण्ड बाउन्डस के कानूनी बन्तवारा कराना चाहता है। अतः बन्तवारे का दावा पेश किया है।

प्रार्थना वादी है कि

वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे तथा मौजा खाखोली की शहरद मे खेत पुराने ख.न. 355 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा जिसके नये ख.न. 618 रकबा 0.0100 हैक्टर, खेत ख.न. 619 रकबा 0.0200 हैक्टर, खेत ख.न. 620 रकबा 0.0400 हैक्टर, खेत ख.न. 621 रकबा 4.3200 हैक्टर, ख.न. 622 रकबा 0.0400 हैक्टर, कुल रकबा 4.4300 हैक्टर, की खातेदारी में से प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 का नाम हटाया जाकर वादी द्वारा पेश नजरी नक्शा अनुसुचि „क,, व वाद के पद संख्या 05 में वर्णितानुसार घोषणा सादर फरमाई जावे।

मौजा खाखोली की शहरद मे खेत पुराने ख.न. 355 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा जिसके नये ख.न. 618 रकबा 0.0100 हैक्टर, खेत ख.न. 619 रकबा 0.0200 हैक्टर, खेत ख. न. 620 रकबा 0.0400 हैक्टर, खेत ख.न. 621 रकबा 4.3200 हैक्टर, ख.न. 622 रकबा 0.0400 हैक्टर, कुल रकबा 4.4300 हैक्टर, मुतनाजा जमीन का चुनाराम के वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 11 व नारायणराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 04 ता 09 के बीच वादी द्वारा पेश नजरी नक्शा अनुसुचि „क,, व वाद के पद संख्या 05 में वर्णितानुसार बाई मिटस एण्ड बाउन्डस के कानूनी बन्तवारा किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

वादी ने दिनांक 07.03.2022 को प्रतिवादी संख्या 03 की फौतगी का प्रार्थना-पत्र किया गया।


दिनांक 21.02.2022 को वकील वादी के आवेदन पर पत्रावली आज की पेशी पर ली गई वादी द्वारा पेश गणेशाराम की फौतगी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 01, 02, 05, 07, 10, 11, ने राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक सामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 18.04.2022 को वकील वादी के आवेदन पर पत्रावली आज की पेशी पर ली गई तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 3/1, 3/2, 3/3, 04, 06, 08, 09 ने राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक सामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 27.05.2022 को प्रतिवादी संख्या 12, 13, 14, बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वादी शहादत हेतु समय चाहा।

दिनांक 09.06.2022 को वादी ने अपनी साक्ष्य में पी. डब्ल्यु -01 स्वयं भंवरलाल का शपथ-पत्र पेश किया।


बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस मुख्यतः उनके दावा पर आधारित रही तथा उन्होंने दावा डिक्री करने का निवेदन किया। बहस पर


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मनन् किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अन्य सहखातेदारान् ने घोषणा व बन्टवारा पर किसी प्रकार का एतराज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है तथा सभी पक्षकारानो ने राजीनामा पेश किया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा, व साक्ष्यों व दस्तावजो के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री किया जाता है।

:- आदेश:-

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, मौजा खाखोली की शहरद मे खेत पुराने ख.न. 355 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा जिसके नये ख.न. 618 रकबा 0.0100 हैक्टर, खेत ख. न. 619 रकबा 0.0200 हैक्टर, खेत ख.न. 620 रकबा 0.0400 हैक्टर, खेत ख.न. 621 रकबा 4.3200 हैक्टर, ख.न. 622 रकबा 0.0400 हैक्टर, कुल रकबा 4.4300 हैक्टर, की खातेदारी में से प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 का नाम हटाया जाकर जमीन की खातेदारी राजीनामा में वर्णित बन्ट व कब्जा काश्त व वादी द्वारा पेश नजरी नक्शा अनुसूची „क,, के अनुसार अलग-अलग घोषित किया जाता है। तथा मौजा खाखोली की शहरद मे खेत पुराने ख.न. 355 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा जिसके नये ख.न. 618 रकबा 0.0100 हैक्टर, खेत ख.न. 619 रकबा 0.0200 हैक्टर, खेत ख.न. 620 रकबा 0.0400 हैक्टर, खेत ख.न. 621 रकबा 4.3200 हैक्टर, ख.न. 622 रकबा 0.0400 हैक्टर, कुल रकबा 4.4300 हैक्टर, का बन्टवारा राजीनामा व नजरी नक्शा अनुसूची „क,, के अनुसार वाद डिक्री किया जाता है। राजीनामा, व नजरी नक्शा अनुसूची „क,, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकार्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।



(कार्तिकेय मीणा)

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
डि.डी.वा.ना. (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 17.06.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।



(कार्तिकेय मीणा)

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
डि.डी.वा.ना. (नागौर)

डिगरी व मुकद्दमें इत्दादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्दा दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बड्जलास : पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा , R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2021/315

दायरा दिनांक 06.12.2021

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. भंवरलाल पुत्र स्व. चूनाराम जाति जाट उम्र.....वर्ष निवासी बुगालियो की ढाणी शरहद खाखोली तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)		1. नानूराम पुत्र स्व.रामबक्ष 2. नाथूराम पुत्र स्व.रामबक्ष 3. गणेशाराम पुत्र स्व.रामबक्ष फौत 3/1. कोयलीदेवी पत्नी स्व. गणेशाराम 3/2. प्रकाशसिंह जाखड पुत्र स्व. गणेशाराम 3/3 मोहनीदेवी पुत्री स्व. गणेशाराम 4. गिरधारी पुत्र स्व.नारायणराम 5 हणमानराम पुत्र स्व.नारायणराम 6 सोहनीदेवी पुत्री स्व.नारायणराम 7 बनवारीलाल पुत्र स्व.मोहनराम 8 दुर्गा पुत्री स्व.मोहनराम 9 श्रवणी पत्नी स्व.मोहनराम 10 हीरालाल पुत्र स्व. चूनाराम 11 गोविन्दराम पुत्र स्व. चूनाराम समस्त जाति जाट निवासी बुगालियो की ढाणी शरहद खाखोली तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 12 मेनेजर साहब सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मौलासर तहसील डीडवाना 13 मेनेजर साहब स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा धनकोली तहसील डीडवाना 14 श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना



दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व बन्टवारा
अन्तर्गत धारा 88,53 राज. काश्त. अधि.


दिनांक 17.06.2022


यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री वादी वकील हरदीनराम जाखड व श्री, प्रतिवादीगण वकील ओमप्रकाश पुनिया की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा खाखोली की शहरद मे खेत पुराने ख.न. 355 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा जिसके नये ख.न. 618 रकबा 0.0100 हैक्टर, खेत ख.न. 619 रकबा 0.0200 हैक्टर, खेत ख.न. 620 रकबा 0.0400 हैक्टर, खेत ख.न. 621 रकबा 4.3200 हैक्टर, ख.न. 622 रकबा 0.0400 हैक्टर, कुल रकबा 4.4300 हैक्टर, की खातेदारी में से प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 का नाम हटाया जाकर जमीन की खातेदारी राजीनामा में वर्णित बन्ट व कब्जा काश्त व वादी द्वारा पेश नजरी नक्शा अनुसूची „क,, के अनुसार अलग-अलग घोषित किया जाता है। तथा मौजा खाखोली की शहरद मे खेत पुराने ख.न. 355 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा जिसके नये ख.न. 618 रकबा 0.0100 हैक्टर, खेत ख.न. 619 रकबा 0.0200 हैक्टर, खेत ख.न. 620 रकबा 0.0400 हैक्टर, खेत ख.न. 621 रकबा 4.3200 हैक्टर, ख.न. 622 रकबा 0.0400 हैक्टर, कुल रकबा 4.4300 हैक्टर, का बन्टवारा राजीनामा व नजरी नक्शा अनुसूची „क,, के अनुसार वाद डिक्री किया

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

जाता है। राजीनामा, व नजरी नक्शा अनुसूची „क,, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।


नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।
बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 17.06.2022 को जारी की गयी।




सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डोडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		- -	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डोडवाना (नागौर)